प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 05.07.2024

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

दिनांक 03.07.2024 को थाना लोनी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि मेरी मोटरसाइकिल को हमारे गांव के ही मनीष उर्फ पिन्टु पुत्र कृष्णगोपाल पण्डित निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा लोनी धर्मपाल भट्टे के पास से चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना लोनी पर सुसंगत धारा में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त की गिरफ्तारी व मोटरसाइकिल बरामदगी हेतु टीम लगाई गई ।

तत्पश्चात आज दिनांक 05.07.2024 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मोटरसाइकिल चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त मनीष उर्फ पिन्टु पुत्र कृष्णगोपाल पण्डित निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र 27 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर बरामद हुई। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि ये मोटरसाइकिल मेरे गाँव के ही रहने वाले अमित की है जिसे मैंने मौका पाकर चोरी कर छिपा लिया था। मैं शराब पीने का आदी हूँ, मैंने अपनी इसी नशे की आदत को पूरा करने के लिए चोरी की फिराक में रहता हूं। आज मैं पैसों के लिए चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने के लिए निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

मनीष उर्फ पिन्टु पुत्र कृष्णगोपाल पण्डित निवासी ग्राम घिटौरा थाना खेकड़ा जनपद बागपत, उम्र 27 वर्ष

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

अभियुक्त मनीष उर्फ पिन्टू के विरूद्ध थाना लोनी पर मोटरसाइकिल चोरी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत है।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटरसाइकिल स्प्लेंडर (रजि0 न0-UP17V3235 चेसिस नं0-MBLHAW121MHJ72614 इंजन नं0- HA11EYMHJ62614) बरामद।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना लोनी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 04.07.2024 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान व मुखबिर की सूचना के आधार पर वाहन चोरी करने वाला एक शातिर अभियुक्त प्रिन्स पुत्र मिन्टू निवासी ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष को पानी की टंकी के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:

अभियुक्त उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि यह मोटर साइकिल दिनांक 30.06.2024 को दिल्ली आनन्द विहार से चोरी की है। चोरी की गई मोटर साईकिल को राह चलते व्यक्तियों को सस्ते दामों में बेच देता हूँ और जो रुपये मिलते है। उनसे मै अपना और अपने परिवार वालों का खर्चा चलाता हूँ। मैं पूर्व में भी चोरी के मुकदमें में जेल जा चुका हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

प्रिन्स पुत्र मिन्टू निवासी ग्राम झण्डापुर थाना लिंक रोड गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:

- चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

आपराधिक इतिहास अभियुक्तग

- अभियुक्त उपरोक्त के विरुध्द थाना लिंकरोड पर चोरी का 01 अभियोग व थाना आनन्द विहार दिल्ली में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम:-

थाना लिंकरोड पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 कैमरा डीएसएलआर कैनन कम्पनी का बरामद।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 04.07.2024 को थाना शालीमार गार्डन वादी सुभिन्दर सिंह नागर पुत्र श्रीचन्द नागर निवासी डीएलएफ ए/17 यू0जी0-2 भौपुरा साहिबाबाद, शालीमार गार्डन द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के घर की खिडकी काटकर वादी के घर से 01 एलसीडी 55 इंच, 02 मोबाइल फोन, 01 कैमरा डीएसएलआर कैनन कम्पनी व 7,000/- रुपये चोरी कर लिये गये है। तत्काल थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीबी फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनांक 05.07.2024 को उक्त घटना को कारित करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1. शहजाद पुत्र शमशाद निवासी सोहेल डीलर के सामने वाली बन्द गली विक्रम एनक्लेव थाना

शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष, 2.अशरफ अली पुत्र रज्जन अली निवासी 70 फुटा रोड निसारिया मस्जिद के पास A 43/D416 नई सीमापुरी उम्र 27 वर्ष को डीएलएफ कट के पास बने शौचालय के पास से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किया हुआ 01 कैमरा डीएसएलआर कैनन कम्पनी का बरामद हुआ है। अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुध्द आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः

अभियुक्तगण उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने मिलकर दिनांक 04.07.2024 को हम दोनो ने ए-1 ब्लॉक डीएलएफ में एक घर से एलसीडी, कैमरा व मोबाइल फोन चोरी किया था। हम दोनों ने मिलकर एलसीडी व मोबाइल फोन को राह चलते व्यक्तियों को अपने घर की परेशानी बताकर सस्ते दामों में बेच दिया और बेचकर जो पैसे मिले हमने आपस में बांट लिया और खाने पीने में खर्च कर दिया है। और जो हमारे पास से कैमरा बरामद हुआ है। वह चोरी का ही है। इस प्रकार हम दोनों अपने व अपने परिवार वालों का खर्चा चलाते है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः

1. शहजाद पुत्र शमशाद निवासी सोहेल डीलर के सामने वाली बन्द गली विक्रम एनक्लेव थाना शालीमार गार्डन कमि0 गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष।
2. अशरफ अली पुत्र रज्जन अली निवासी 70 फुटा रोड निसारिया मस्जिद के पास A 43/D416 नई सीमापुरी उम्र 27 वर्ष।

बरामदगी का विवरणः

- चोरी का 01 कैमरा डीएसएलआर कैनन कम्पनी का बरामद।

अभियुक्तगणों का आपराधिक इतिहासः

- अभियुक्त शहजाद पुत्र शमशाद उपरोक्त के विरुध्द थाना शालीमार गार्डन पर चोरी का 01 अभियोग व गृह भेदन का 02 अभियोग पंजीकृत है।
- अभियुक्त अशरफ अली उपरोक्त के विरुध्द दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लूट, चोरी व आर्म्स एक्ट के (एक दर्जन) 12 अभियोग पंजीकृत है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।